

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या- 28/2020

निर्णय दिनांक -16.06.2020

1. बगदु उर्फ बगदीराम पिता काशीराम जी जाति कुमावत, आयु वयस्क निवासी मोडजी का मिण्डाना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
2. शंकरलाल पिता काशीराम जी जाति कुमावत आयु वयस्क, निवासी मोडजी का मिण्डाना तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।

- प्रार्थीगण

//बनाम//

1. गोपाल पिता नन्दाजी जाति कुमावत उम्र वयस्क, निवासी मोडजी का मिण्डाना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़राज0।
2. मोडीराम पिता उंकार लाल जी जाति कुमावत उम्र वयस्क, निवासी मोडजी का मिण्डाना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा मिण्डाना पटवार हल्का मिण्डाना तह0 निम्बाहेडा में खाता संख्या 169 की आराजी नं. 513 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, आराजी नं. 514 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, आराजी नं. 515 रकबा 0.5800 हैक्टेयर कुल कित्ता 3 कुल रकबा 1.6000 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 500/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा मिण्डाना पटवार हल्का मिण्डाना तह0 निम्बाहेडा में खाता संख्या 169 की आराजी नं. 513 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, आराजी नं. 514 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, आराजी नं. 515 रकबा 0.5800 हैक्टेयर कुल कित्ता 3 कुल रकबा 1.6000 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 16.06.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
निम्बाहेडा

Digitally signed by Pankaj Sharma, DN: cn=Pankaj Sharma, o=Jalgaon District, ou=Jalgaon District, email=pankaj.sharma@jalgaon.gov.in, c=IN



Scanned with Cam

